



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-13/2017-12/18 दिनांक : 19-09-2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची /
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा /
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची /
उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, राँची ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वयित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत विभागीय भवनों के नव निर्माण, चाहरदिवारी का निर्माण एवं सुसज्जिकरण हेतु कुल रु0 338.052 लाख (तीन करोड़ अड़तीस लाख पांच हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योब0-21/2017-29 / स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 14.09.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / योबजट-21/2017- 68 / आ0 व0प0 दिनांक 15.09.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-15-वन प्रबंधन सुविधायें योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 338.052 लाख (तीन करोड़ अड़तीस लाख पांच हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796150103	138.052
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796150323	200.000
कुल :-		338.052

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे । ऑनलाइन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर द्रष्टव्य है ।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796150103 एवं 19S240601796150323, है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के लिए तैयार प्राक्कलन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराकर, उसी अनुरूप राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

9. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अप प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से करना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-13/2017-12/18 दिनांक- 19-09-17

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-13/2017-12/18 दिनांक- 19-09-17

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा / सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली वन प्रबंधन सुविधायें (जनजातीय क्षेत्र) के अंतर्गत विभागीय भवनों के चाहरदिवारी निर्माण एवं जीणीद्वार

(सांशे लाख में)

क्र०	प्रमाणदल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	स्थल एवं कार्य का नाम	प्राकक्षित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
क	राँची रीजन						
1	राँची वन प्रमाणदल, राँची		प्रमाणदलीय कार्यालय में फलोर टाइल्स लगाना (2200 वर्गफीट) प्रमाणदलीय कार्यालय का सुसज्जीकरण कार्य (फाईल रखने एवं बैठने की व्यवस्था) अतिक्रमण से मुक्त काराई गई ललतुवा वनभूमि की सुरक्षा हेतु चाहरदिवारी का निर्माण	2,000 8,000 20,000	0.800 3,200 8,000	1,200 4,800 12,000	2,000 8,000 20,000
			शोध :-	30,000	12,000	18,000	30,000
2	सिमडेंगा वन प्रमाणदल		वन विश्रामागार, सिमडेंगा के आउट हाउस का जिरोड्हार प्रमाणदलीय कार्यालय का विरतारीकरण प्रमाणदलीय कार्यालय में पानी की व्यवस्था वन विश्रामागार सिमडेंगा के आउट हाउस का जिरोड्हार वन भवन कैम्पस में साईफिल्ट / मोटरराईफिल्ट रेंडण्ड वन भवन कैम्पस में साईफिल्ट / मोटरराईफिल्ट रेंडण्ड	0.500 5,000 5,000 0.500 6,000 17,000 47,000	0.225 2,000 2,000 0.225 2,400 6,850 18,850	0.275 3,000 3,000 0.275 3,600 10,150 28,150	0.500 5,000 5,000 0.500 6,000 17,000 47,000
			राँची रीजन का योग :-				
ख	वन्यप्राणी प्रमाण						
1	वन्यप्राणी प्रमाणदल, राँची	भवन निर्माण प्रक्षेत्र	वन भवन कैम्पस के सम्पूर्ण कार्यालय हेतु एक तड़ित चालक का निर्माण कार्य चतुर्थ वन्याय कर्मचारियों के आवास गृह संख्या-22 से 45 में डीप बोरिंग का पाइप एवं पम्प सहित वन भवन परिसर का विद्युतीकरण कार्य एलएर्डी0 लाईट एवं गार्डन लाईट के साथ वन पराधिकारी आवास गृह कैम्पस में बिजली बत्ती लगाने का कार्य अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक, विकास एवं प्रधान मुख्य वन सरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, मुख्य वन सरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड के कार्यालय कक्षों एवं कार्यालय सहित सम्पूर्ण नीचले तल्ला के जीणोद्धार कार्य-संसिद्धि एवं पलमबरिंग कार्य सहित वर्क रेस्थेन लगाने का कार्य फोरेस्ट स्टाफ कॉलोनी में जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन की व्यवस्था वन पराधिकारी फ्लेट ब्लॉक बी0 में लगे लिफ्ट का ऑटोसिस्टम वन पराधिकारियों का सरकारी आवास गृह सी0 ब्लॉक में 6 आवास गृह का बिजली खाल्सा से 35MM का 4 कोर कंबल सहित वाईस चार 200 एम्पीयर एवं मेन सुईच सहित अन्य कार्य कराने का कार्य वन विभागीय आवास गृह कॉलोनी कड़ु में आवास संख्या सी0 / 69 से सी0 / 76 तक पी0सी0सी0 कार्य पहुच व्य का निर्माण एवं सीढ़ी रुम में ग्रील का निर्माण कार्य	2,500 2,500 2,500 2,000 22,000 22,000 2,000 1,800 0.400 0.900	1,000 1,000 1,000 0.800 8,800 13,200 0.800 0.810 0.180 0.405	1,500 1,500 1,500 1,200 8,800 13,200 1,200 0.990 0.220 0.495	2,500 2,500 2,500 2,000 22,000 22,000 2,000 1,800 0.400 0.900

सं. सं.	प्रमण्डल का नाम	वन प्रबोत का नाम	स्थल एवं कार्य का नाम	प्राकलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			वन पदाधिकारियों का अवास बंगला संख्या ५ में चेकर्स टाइल्स लगाने का कार्य 1450 Sqft.	1,000	0.400	0.600	1,000
			योग :-	204.457	81.938	122.519	204.457
ग	प्रशिक्षण प्रमाण						
1	उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, रोची		प्री-फैविकेटेड बैरक का निर्माण - ०१ सॉ (10 व्यक्तियों के लिये)	25,000	11,252	13,748	25,000
			निये होस्टल गा. निर्माण (४० सीटर)-०१ सॉ (पाटी)	41,595	17,012	24,583	41,595
			होस्टल आउट हाउस का निर्माण-०१ सॉ	15,000	6,750	8,250	15,000
			गाड रुम का निर्माण	5,000	2,250	2,750	5,000
			योग :-	86,595	37,264	49,331	86,595
			संकल योग :-	338,052	138,052	200,000	338,052

अप्र प्रधान प्रशिक्षण संस्कृति, विकास,
ज्ञानराज्य, रोची



गोपनीय सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-13/2017/1218

दिनांक -

19-Sep-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं.	निकासी एवं व्ययम पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	65166	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,200,000.00 रुपये बारह लाख
2	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	65167	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	685,000.00 रुपये छः लाख पिच्चासी हजार
3	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	65168	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY. IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	8,193,800.00 रुपये इक्कलासी लाख तिरनावे हजार आठ सौ
				10,078,800.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ अठहत्तर हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PROP.DIVANARSHAND

क्रमांक	विपरी कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययम पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	65169	DRNFWL009 SMT.SMITHA PANKAJ IFS रुपये सैतीस लाख छब्बीस हजार चार सौ DY.CF.TRAINING RANCHI	3,726,400.00
5	S 19 240601796150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	65171	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA	1,800,000.00 रुपये अठारह लाख
6	S 19 240601796150323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	65172	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,015,000.00 रुपये दस लाख पंद्रह हजार
योग:				6,541,400.00
क्रमिक योग:				16,620,200.00

रुपये एक करोड छाल लाख बीस हजार दो सौ

 (SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.P&P DEPARTMENT OF FOREST

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796150323	65173	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY, IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	12,251,900.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA		रुपये एक करोड बाइस लाख इकावन हजार नौ सौ	
8	S 19 240601796150323	65174	DRNFWL009 SMT.SMITHA PANKAJ IFS DY.CF.TRAINING RANCHI	4,933,100.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA		रुपये उनचास लाख तैतीस हजार एक सौ	
				17,185,000.00
योग:				33,805,200.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड अड्डीस लाख पाँच हजार दो सौ			

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.P&P DEWANARSHAND